

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर

क्रमांक: प.४(ड)()विधि/मनो./डीएलबी/१८/ ५५६।

दिनांक: ११/१०/१७

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा ६ (१) (क) (ii) में प्रदत्त शवित्रों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगरपालिका/परिषद मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नलिखित नगरपालिकाओं में उनके नाम के समुख अंकित व्यक्तियों को एतद्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

क्र. सं.	जिला	नगरपरिषद् / नगरपालिका	नाम
1.	टोक	टोक	1. श्री रामअवतार धामाई, बड़ातख्ता, टोक 2. श्री सीताराम चावला, गांधी पार्क के सामने, टोक 3. श्री रमेश गढ़वाल 4. श्री पंकज महावर, संघपुरा पुरानी, टोक 5. श्री राजेश शर्मा समन्दर, कम्पू टोक
2.	नागौर	डेगाना	1. श्री दशरथ सिंह शेखावत पुत्र श्री भंवर सिंह शेखावत 2. श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री रामनारायण तापडिया 3. श्री कन्हैयालाल स्वर्णकार पुत्र श्री नथमल निवासी डेगाना 4. श्री राजप्रकाश पुत्र श्री गंगाराम निवासी डेगाना
3.	सीकर	खण्डेला	1. श्री शंकर लाल लाटा पुत्र श्री राधेश्याम लाटा वार्ड नं. 1 2. सत्तर खान पुत्र मोहम्मद खान, वार्ड नं. 18 3. श्री अरुण अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द नारनोली वार्ड नं. 16 4. एजाज अहमद पुत्र सलाउदीन वार्ड नं. 6
4.	सीकर	रींगस	1. श्री विष्णु कुमार चुलेट पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा वार्ड नं. 10 2. श्री अशोक कानुनगो पुत्र श्री हरिप्रसाद कानुनगो वार्ड नं. 14 3. श्री सोहन लाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत वार्ड नं. 21 4. श्री केशर सिंह मावलिया पुत्र श्री रामनाथ मावलिया वार्ड नं. 15
5.	जयपुर	कोटपूतली	1. अवनीश यादव पुत्र बृजमोहन 2. अजय गोयल पुत्र किरोडीमल गोयल 3. सिद्धार्थ वशिष्ठ पुत्र विरेन्द्र कुमार 4. नरेन्द्र गुप्ता पुत्र दुलीचन्द
6.	पाली	सुमेरपुर	1. मांगीलाल देवडा 2. लक्ष्मणसिंह 3. गणपतसिंह राजपुरोहित 4. श्रवण राठी
7.	पाली	तखतगढ़	1. हीरसिंह 2. नारायण देवासी 3. कुन्दनमल रावल 4. रमेश राठौड़, अनुसूचित जाति से
8.	सीकर	नीमकाथाना	1. दशरथ कुमार अग्रवाल 2. ओमप्रकाश वर्मा 3. जगदीश प्रसाद सैनी 4. सुनील कुमार शर्मा
9.	पाली	जैतारण	1. बगदा राम 2. ललिता सिसोदिया

10.	जयपुर	फुलेरा	1. हरजीत सिंह 2. सुरेश सैनी
11.	जयपुर	किशनगढ़ रेनवाल	1. रविन्द्र सिंह (रामसिंह) 2. सीताराम बासनीवाल (कुमावत)
12.	जयपुर	सांभर	1. हंसराज चांदवानी
13.	स०माधोपुर	गंगापुरसिटी	1. गोपाल धामनिया, वार्ड नं. 19

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ड)()विधि / मनो./ डीएलबी / 16 / 452–524 दिनांक 26.04.16 के क्रम संख्या 12 द्वारा नगर परिषद, टोक में मनोनीत सहवृत्त सदस्यों का मनोनयन निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल महोदय द्वी आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ड)()विधि / मनो./ डीएलबी / 17 / ५४६२ + ५१०

दिनांक: ११/०१/८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. उप सचिव(ए.एस.), मा० मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, टोक, नागौर, सीकर, जयपुर, पाली, सवाईमाधोपुर।
06. संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता की जांच कर एक माह में नियमानुसार शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
07. निदेशक / अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राज० राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति भिजवाने का श्रम करें।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज०, जयपुर।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर।
10. सम्बंधित आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद / पालिका, टोक, डेगाना, खण्डेला, रींगस, कोटपूतली, सुमेरपुर, तखतगढ़, नीमकाथाना, जैतारण, फुलेरा, किशनगढ़ रेनवाल, सांभर, गंगापुरसिटी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय ब्रेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी